भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3609
बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

विशेष भर्ती अभियान

3609. कुमारी शैलजाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए विशेष भर्ती कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री के तरफ से सभी मंत्रालयों/विभागों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने की मंशा रखती है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त को क्रियान्वित करने के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति की प्रणाली अपनाने की भी मंशा रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों ने भी कोई दिशानिर्देश जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): केंद्रीय सरकार में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण उत्पन्न होती हैं तथा रिक्त हुए पदों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित है। रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जो वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों तथा भर्ती अभिकरणों के कार्रवाई कैलेंडर पर निर्भर करता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन करने के लिए मॉड्ल कैलेंडर निर्धारित करते हुए तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुमोदित चयन पैनल रिक्ति वर्ष के प्रारंभ की तिथि पर तैयार हों, के लिए अपने दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 22011/4/2013-स्था.(घ) द्वारा अनुदेश जारी किए हैं। डीओपीएंडटी के दिनांक 19.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/18/2016-स्था.(ख)/3127101 द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में संबंधित भर्ती अभिकरणों, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि को रिक्ति की स्थिति भेजने का परामर्श दिया गया है, जिससे समयबद्ध तरीके से ऐसी रिक्तियों को भरा जा सके।

(ङ): इससे संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, 2014-2019 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों को 2,45,470 सरकारी रिक्तियां/रोजगार प्रस्तुत किए गए। इन दो भर्ती अभिकरणों के अलावा अन्य अभिकरण भी हैं, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) आदि, जो सरकारी रिक्तियों/रोजगार हेतु भर्ती करते हैं।

(च): राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं एवं अपने भर्ती नियमों के अनुसार राज्य की रिक्तियों के लिए भर्ती करती हैं।

*****